सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/144 दायर दिनांक 31.05.2017

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. हड़मानराम पुत्र रामूराम,<br>जाति–जाट,<br>निवासी–फोगड़ी,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. नानूराम पुत्र रामूराम,<br>2. धनाराम पुत्र लिछमणराम,<br>3. जुगलकिशोर पुत्र लिछमणराम,<br>4. मोहनी पत्नी लिछमणराम,<br>5. रामदेवाराम पुत्र रतनाराम,<br>6. गोविन्दराम पुत्र रतनाराम,<br>7. कानाराम पुत्र टोडाराम,<br>8. बीरमाराम पुत्र मांगूराम,<br>समस्त,जाति–जाट,<br>निवासी–फोगड़ी,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>9. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा,<br>शाखा–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>10. प्रबन्धक, यूको बैंक,<br>शाखा–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>11. तहसीलदार डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.**

**उपस्थित–**

1. पक्षकारान् उपस्थित।

### –:: निर्णय ::–

दिनांक **13.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 08 तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के पिता व पति लिछमणराम के नाम से संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 27.09 बीघा, खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 07.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 03.06 बीघा, वाके सरहद फोगड़ी में अवस्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 व नक्शा ट्रेश पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं तथा आपस में भाई हैं। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पिता तथा प्रतिवादीनी संख्या 04 के पति लिछमणराम मोटाराम के गोद गया हुआ है और इसी कारण मोटाराम के स्वर्गवास के बाद लिछमणराम के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 144
दायर दिनांक 31.05.2017, निर्णय दिनांक 13.06.2017
हड़मानराम बनाम् नानूराम, वगैरा।

गोदपुत्र के रूप में मोटाराम की खातेदारी की भूमि में नामान्तरकरण दर्ज किया गया। दिनांक 14.10.2016 को स्वर्गवास हो गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण नहीं होने के कारण तथा लिछमणराम के वारिस होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को पक्षकार बनाया गया है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 नानूराम सगे भाई हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 लिछमणराम के वारिसान् है। विवादित खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में से 11 बीघा भूमि पारिवारिक समायोजन व आपसी सहमति से वादी के बन्ट व कब्जाकाश्त की है जिसे नजरीनक्शा में मार्क ई एफ जी डी से दर्शाया है तथा 11 बीघा भूमि तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच दिनांक 21.05.2016 को इकरारनामा बाबत् भाई बन्टवारा की लिखापढी हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 लिछमणराम के वारिसान् के कब्जाकाश्त की भूमि अवस्थित है। खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में दक्षिणी भाग में प्रतिवादी कानाराम का कब्जाकाश्त है तथा प्रतिवादीगण संख्या 05, 06 व 07 को पारिवारिक समायोजन व आपसी सहमति से खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 27.09 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 07.05 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 03.06 बीघा कुल रकबा 38 बीघा बन्ट व हिस्से में आया हुआ है जिस पर शुरू से लेकर आज तक प्रतिवादीगण संख्या 05, 06 व 07 का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र लिछमणराम की पेश है।

पक्षकारान् ने आपसी सहमति व पारिवारिक समायोजन के अनुसार आज से लगभग 15–20 वर्षों पूर्व बन्ट कर रखा है परन्तु इस सम्बन्ध में ईकरारनामा बाबत् पारिवारिक भाईबन्ट की लिखापढी दिनांक 21.06.2016 को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच में की गयी तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा अलग–अलग सींवें–नींवें है तथा इसी अनुरूप अपने हिस्से पर काश्त करते आये हैं परन्तु पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नहीं होने के कारण काश्त के समय, सीमा को लेकर सीमा सम्बन्धी विवाद रहता है। इसलिए बन्टवारा का दावा पेश है। नकल ईकरारनामा बाबत् भाई बन्ट की पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के पिता व पति स्वर्गीय लिछमणराम, मोटाराम के गोद गया हुआ था। इस कारण मोटाराम के स्वर्गवास के पश्चात् मोटाराम की खातेदारी की भूमि में बतौर गोदपुत्र लिछमणराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु सहवन से उक्त लिछमणराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामूराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो गलती से दर्ज किया हुआ है उसे हटाया जाना आवश्यक है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 04 के पति लिछमणराम ने मिलकर दोनो ने संयुक्त रूप से इस भूमि में एक कुआँ का निर्माण कराया था। उक्त कुआँ निर्माण व विद्युत कनैक्शन में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 04 के पिता लिछमणराम का खर्चा लगा था। लेकिन वादी व स्व0 लिछमणराम दोनों ने मिलकर उक्त कुआँ पर विद्युत कनैक्शन प्रतिवादी संख्या 08 बीरमाराम के नाम से लिया था और उक्त कुआँ को फसल सिंचाई के उपयोग व उपभोग में केवल वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 ही लेते है। कोई भी सहखातेदार इस कुआँ का उपयोग व उपभोग नहीं करते है। उक्त कुँआ व विद्युत कनैक्शन में वादी का 1/3 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 का 2/3 भाग है, जिस हेतु यह वाद पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 अपने–अपने हिस्से में उक्त कुआँ से पानी लेकर सिंचाई करते है परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 08 बीरमाराम ने आपस में दुर्भि संधि करके उक्त कुआँ से वादी को बेदखल करना चाहते है तथा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त कुआँ मय विद्युत कनैक्शन के विक्रय करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वादी के जायज अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादी को भारी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

वाद हैतुक जब दिनांक 21.06.2016 को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य आपसी सहमति, पारिवारिक समायोजन के अनुसार व सुविधानुसार ईकरारनामा बाबत् भाईबन्ट की लिखापढी हुई तथा इसके पश्चात् वादी अपने हिस्सा की भूमि पर दिनांक 20.05.2017 को काश्त करने गया जब प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने उसे ऐसा करने से मना किया तथा ईकरारनामा बाबत् भाईबन्ट की लिखापढी दिनांक 21.06.2016 को मानने से इन्कार किया तब बमुकाम ग्राम फोगड़ी में उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है कि–

सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में से 11 बीघा भूमि मार्क ए बी सी डी ई वादी के बन्ट व कब्जाकाश्त की घोषित की जाने की डिक्री वादी के पक्ष में जारी की जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में सहवन से रामूराम के स्वर्गवास के पश्चात् लिछमणराम का नामान्तरकरण रामूराम के हिस्से की भूमि में दर्ज किया गया है उसे हटाया जावे यदि दौराने दावा रामूराम के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जाता है तो उसे भी हटाया जाने की डिक्री जारी की जावे।

इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के विरूद्ध जारी की जावे कि, गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 विवादित खेत खसरा नम्बर 124 की भूमि की भूमि को किसी अन्य को विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करे तथा वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावे। इसी खसरा में निर्मित कुआँ मय विद्युत कनैक्शन जिसमें वादी का 1/3 भाग है, के उपयोग–उपभोग में भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075तक की खेवट संख्या 242 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075तक की खेवट संख्या 243 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ईकरारनामा बाबत् बन्टवारा दिनांक 21.052016 की छायाप्रति वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व वादी के चाहे गये अनुतोषानुसार वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 144
दायर दिनांक 31.05.2017, निर्णय दिनांक 13.06.2017
हड़मानराम बनाम् नानूराम, वगैरा।

का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

**आदेश**

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर रकबा 11 बीघा भूमि नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई अनुसार, का वादी हड़मानराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खसरा में नजरीनक्शा में दर्शित मार्क एक्स अनुसार निर्मित कुआँ मय विद्युत कनैक्शन में से हिस्सा 1/3 भाग का वादी हड़मानराम को हिस्सेदार घोषित किया जाता है।

सरहद फोगड़ी में उपर्युक्त खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में वर्तमान में रामूराम के वारिसान् के रूप में लिछमणराम का नाम दर्ज है उसे रामूराम के हिस्से में से हटाया जाता है, इसी खसरा में मोटाराम के स्थान पर गोदपुत्र के रूप में लिछमणराम का नाम दर्ज है उसे यथावत् रखा जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।

सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस से किया जाकर नजरीक्शा में दर्शित मार्क डी ई एफ जी तथा मार्क बी सी एच आई रकबा 11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 नानूराम की भूमि के चिपते ही पश्चिमी दिशा में अवस्थित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 व 08 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 135 रकबा 27.09 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 07.09 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 03.06 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 08 का नामा हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2017 को कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/144** दायर दिनांक **31.05.2017**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. हड़मानराम पुत्र रामूराम, जाति–जाट, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. नानूराम पुत्र रामूराम, जाति–जाट, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा। |

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.**

दिनांक **13.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर रकबा 11 बीघा भूमि नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई अनुसार, का वादी हड़मानराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खसरा में नजरीनक्शा में दर्शित मार्क एक्स अनुसार निर्मित कुआँ मय विद्युत कनैक्शन में से हिस्सा 1/3 भाग का वादी हड़मानराम को हिस्सेदार घोषित किया जाता है।

सरहद फोगड़ी में उपर्युक्त खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा में वर्तमान में रामूराम के वारिसान् के रूप में लिछमणराम का नाम दर्ज है उसे रामूराम के हिस्से में से हटाया जाता है, इसी खसरा में मोटाराम के स्थान पर गोदपुत्र के रूप में लिछमणराम का नाम दर्ज है उसे यथावत् रखा जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।

सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 124 रकबा 50.01 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस से किया जाकर नजरीक्शा में दर्शित मार्क डी ई एफ जी तथा मार्क बी सी एच आई रकबा 11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 नानूराम की भूमि के चिपते ही पश्चिमी दिशा में अवस्थित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 व 08 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सरहद फोगड़ी में खसरा नम्बर 135 रकबा 27.09 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 07.09 बीघा व खसरा नम्बर 149 रकबा 03.06 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 08 का नामा हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | – | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner